

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्रामीण विकास (अनुभाग-6)

क्रमांक—एफ 4(2)ग्रावि/अनु-6/मेवात प्रस्ताव/2022/ ५०७९-५०९९ जयपुर, दिनांक—२१।।।२२.

—: बैठक कार्यवाही विवरण :—

श्री जुबैर खान माननीय अध्यक्ष, मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डले की अध्यक्षता में राज्य के अलवर एवं भरतपुर जिलों की शत-प्रतिशत राज्य प्रवर्तित योजना मद से संचालित मेवात क्षेत्रीय विकास योजना की वार्षिक कार्य योजना 2022-23 के अनुमोदन एवं गत बैठक दिनांक 16.05.2022 की अनुपालना पर चर्चा हेतु दिनांक-27.10.2022 को अपराह्न-2.00 बजे पर समिति कक्ष उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मेवात क्षेत्र के माननीय मंत्री, विधायकगण, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, शासन सचिव ग्रावि सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए। (सूची परिशिष्ट 1 पर अवलोकनीय है)

सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक एजेण्डा बिन्दुवार समीक्षा हेतु शासन सचिव, ग्रावि से आग्रह किया गया।

शासन सचिव, ग्राविवि द्वारा योजना की पीपीटी द्वारा बैठक एजेण्डा अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1 — गत बैठक दिनांक 16.05.2022 की अनुपालना पर चर्चा।

प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि द्वारा वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक के कुल 120 अपूर्ण कार्यों (जिला अलवर 59 कार्य एवं जिला भरतपुर 61 कार्य) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पूर्व पूर्ण करवाकर शत प्रतिशत समायोजन हेतु निर्देशित किया गया।

जिला भरतपुर के 06 कार्यों की वसूली की कार्यवाही पर चर्चा करने के उपरान्त जिला अलवर ने भी 28 कार्य वसूली से संबंधित होना बताया। जिस पर जिला कलक्टर के माध्यम से शीघ्र ही वसूली की कार्यवाही कर कार्य निरस्ती के प्रस्ताव भिजवाने हेतु शासन सचिव, ग्रावि द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर एवं अलवर को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 2 — वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 का अनुमोदन।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल द्वारा वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 के लिए जिला अलवर एवं भरतपुर से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्देशित किया गया कि वार्षिक कार्ययोजना में सेक्टरवाइज प्राथमिकता निर्धारित करते हुये 50 प्रतिशत कार्य शिक्षा से संबंधित, 30 प्रतिशत कार्य लूरल कनेक्टिविटी से संबंधित एवं शेष 20 प्रतिशत कार्य शमशान/कब्रिरतान के विकास से संबंधित कार्यों को शामिल किया जावें। विद्यालयों के लिए उपयोगी पेयजल एवं सड़क आदि कार्यों को भी शिक्षा सेक्टर में शामिल किया जावें।

वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 पर चर्चा करते हुये सर्वसम्मति से माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल को पत्रावली पर कार्य योजना के अनुमोदन हेतु अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 3 – पूर्व में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रावली पर अनुमोदित कार्यों का बोर्ड में कार्योत्तर अनुमोदन।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पत्रावली पर जिला अलवर में अनुमोदित कुल 15 कार्यों में से एक कार्य ‘राजकीय मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, ग्वालदा तिजारा भवन की मरम्मत इत्यादि कार्य राशि रु0 50.00 लाख’ को पुनः परीक्षण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अलवर को निर्देशित किया गया तथा शेष 14 कार्यों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

माननीय मंत्री महोदया जाहिदा खान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल द्वारा पत्रावली पर जिला भरतपुर में अनुमोदित कुल 06 कार्यों में से एक कार्य ‘आवासीय बालिका विद्यालय, कैथवाड़ा भवन निर्माण कार्य राशि रु0 248.39 लाख’ को निरस्त करते हुये उक्त कार्य के स्थान पर रुरल कनेक्टिविटी से संबंधित कार्यों को शामिल करने हेतु निवेदन किया गया। साथ ही माननीय मंत्री जाहिदा खान द्वारा आवासीय बालिका विद्यालय कैथवाड़ा भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के दौरान बताया कि उक्त निर्माण कार्य राजस्थान समग्र शिक्षा एवं राजस्थान शिक्षा परिषद अथवा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा करवा लिया जावेगा। तत्पश्चात चर्चा में अंतिम रूप से निर्णय किया गया कि यदि बालिका आवासीय विद्यालय कैथवाड़ा के भवन का निर्माण राजस्थान समग्र शिक्षा एवं राजस्थान शिक्षा परिषद अथवा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा करवा लिया जाता है तो उक्त राशि मेवात विकास बोर्ड द्वारा अन्य कार्यों में आवंटित कर दी जावेगी, किन्तु यदि राजस्थान समग्र शिक्षा एवं राजस्थान शिक्षा परिषद अथवा अल्पसंख्यक मामलात विभाग उक्त भवन का निर्माण करने में असमर्थ रहते हैं तो आवासीय बालिका विद्यालय कैथवाड़ा का निर्माण मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल द्वारा किया जावेगा।

पत्रावली पर जिला भरतपुर में अनुमोदित उक्त 06 कार्यों में से 02 कार्यों ‘आवासीय बालिका विद्यालय, गुलपाड़ा भवन की मरम्मत इत्यादि राशि रु0 12.00 लाख तथा आवासीय बालिका विद्यालय, टोड़ा भवन की मरम्मत इत्यादि राशि रु0 12.00 लाख’ के भौतिक सत्यापन हेतु प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर को निर्देशित किया गया।

आवासीय बालिका विद्यालय, जोतरुहल्ला भवन की मरम्मत इत्यादि राशि रु0 5.00 लाख के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि उक्त विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय के साथ सम्मिलित हो गया है, पृथक से कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः जोतरुहल्ला हेतु आवंटित राशि 5 लाख रु. निरस्त किये जावें।

साथ ही आवासीय बालिका विद्यालय, सहसन भवन की मरम्मत इत्यादि राशि रु0 26.84 लाख' के संबंध में यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि उक्त भवन की मरम्मत यदि राजस्थान समग्र शिक्षा एवं राजस्थान शिक्षा परिषद अथवा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा करवा दी जाती है, तो मेवात विकास बोर्ड के द्वारा उक्त राशि को अन्य विकास कार्यों में आवंटीत किया जायेगा और यदि राजस्थान समग्र शिक्षा एवं राजस्थान शिक्षा परिषद अथवा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा उक्त भवन की मरम्मत में असमर्थता जाहिर की जाती है, तो आवासीय बालिका विद्यालय सहसन की मरम्मत मेवात विकास बोर्ड के द्वारा की जायेगी। तथा एक कार्य 'गौशाला निर्माण राशि रु0 78.50 लाख' का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बैठक के दौरान आदीपुर – शादीपुर संपर्क सङ्गठक के निर्माण हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि उन्हें दूरभाषः पर माननीय विधायक श्री संदीप यादव द्वारा उक्त संपर्क सङ्गठक का निर्माण मेवात विकास बोर्ड द्वारा करवाये जाने हेतु निवेदन किया है। इस संबंध में पूर्व बैठक दिनांक 16.05.2022 में भी स्थानीय माननीय विधायक श्री संदीप यादव के द्वारा आदीपुर – शादीपुर गांव को संपर्क सङ्गठक से जोड़े जाने हेतु अनुरोध किया गया था। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि आदीपुर – शादीपुर गांव अलवर जिले में एकमात्र ऐसा गांव है जो किसी भी प्रकार से संपर्क सङ्गठक के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रावधानों के अंतर्गत भी सङ्गठक का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। चर्चा में विधायकगणों के द्वारा बताया गया कि उक्त सङ्गठक निर्माण हेतु मिटटी अन्य स्थानों से लाकर भरी जायेगी। मनरेगा योजना के अंतर्गत इस सङ्गठक का निर्माण किया जाना संभव नहीं है बल्कि मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत ही कराया जाना संभव है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आदीपुर – शादीपुर संपर्क सङ्गठक का निर्माण मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड द्वारा दो चरणों में करवाया जाना है। प्रथम चरण में ग्रेवल सङ्गठक हेतु राशि 30 लाख रु. अनुमोदित किये जावे तथा द्वितीय चरण में मेवात विकास बोर्ड द्वारा डामरीकरण का कार्य करवाया जायेगा।

शासन सचिव महोदया, ग्राविवि द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(अमरकारेश्वर इमी) 22
परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंरावि।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल।
4. माननीय सांसद महोदय, लोकसभा/राज्यसभा संबंधित क्षेत्र।
5. माननीय विधायकगण महोदय, संबंधित क्षेत्र।
6. जिला प्रमुख, अलवर एवं भरतपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव— ग्रा.वि. एवं पंरा।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव—शिक्षा विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त/उर्जा/जल संसाधन/सार्वजनिक निर्माण/वन एवं पर्यावरण।
10. निजी सचिव, शासन सचिव—ग्रामीण विकास/ पंचायतीराज/ पशुपालन/ आयोजना/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/आयोजना।
11. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू—संरक्षण विभाग, राजस्थान।
12. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, जयपुर एवं भरतपुर।
13. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समसा।
14. निजी सचिव, जिला कलक्टर, अलवर एवं भरतपुर।
15. परियोजना निदेशक, राजीविका।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर एवं भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित मा० सांसद लोकसभा/राज्यसभा, मा० विधायक एवं मा० जिला प्रमुख महोदय को बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
17. वित्तीय सलाहकार एवं परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास।
18. परियोजना निदेशक एवं पदन उप सचिव, मो. एवं मू., ग्रा.वि।
19. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक एवं पदन
उप सचिव (एसीपी) 22/22

परिशिष्ट-1

मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल की बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि/अधिकारियों की सूची

क्र० स०	नाम	पदनाम मय विभाग
1	श्री जुबैर खान	अध्यक्ष, मेवात विकास बोर्ड
2	श्री टीकाराम जूली	मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
3	श्रीमती जाहिदा खान	मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
4	श्री दीपचन्द खेरिया	विधायक, किशनगढ़ बास (वी० सी० के माध्यम से)
5	श्रीमती सफिया जुबैर खान	विधायक, रामगढ़
6	श्रीमती अपर्णा अरोरा	प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि
7	श्रीमती मजू राजपाल	शासन सचिव, ग्रावि
8	श्री सांवर मल वर्मा	संभागीय आयुक्त, भरतपुर (वी० सी० के माध्यम से)
9	श्रीमती अर्तिका शुक्ला	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अलवर (वी० सी० के माध्यम से)
10	श्री श्रीनिधि बी. टी.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर (वी० सी० के माध्यम से)
11	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	संयुक्त सचिव, जल संधान विभाग
12	श्रीमति रशिम गुप्ता	निदेशक, जलग्रहण एवं भू संरक्षण विकास विभाग
13	श्री अशोक कुमार पारीक	विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड
14	श्री ओमकारेश्वर शर्मा	परियोजना अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, एसएपी
15	श्रीमती गितीका सारस्वत	परियोजना अधिकारी, एसएपी
16	श्री राजेश वर्मा	अतिरिक्त आयुक्त, पंचायतीराज
17	डॉ. आनन्द सेजरा	अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
18	श्री योगेश कुमार मित्तल	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग
19	श्री मूलचन्द	संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
20	श्री रिछपाल सिंह	अधीक्षण अभियंता, आर.सी.एस.सी.ई.
21	श्री मनिन्दर सिंह	अधिशासी अभियंता, आर.सी.एस.सी.ई.
22	श्री सुरेश अग्रवाल	ओ.एस.डी., वन विभाग
23	श्री आशीष यादव	सहायक निदेशक, आयोजना विभाग
24	श्री जे.के. मिश्रा	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जेवीवीएनएल
25	श्री वी.सी. बुनकर	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
26	श्री मुकेश गुप्ता	अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग
27	श्री चिन्न हरि मीना	सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
28	श्री राजेश मीना	डी.डी.ओ., चिकित्सा विभाग
29	डॉ. उमेश	डी.डी., चिकित्सा विभाग